2025:CGHC:18306

प्रकाशनार्थ अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

रिट याचिका 227 क्रमांक 362/2025

- डोमार सिंह वर्मा, पिता स्व. श्री जगन्नाथ वर्मा, आयु लगभग 80 वर्ष, निवासी– वार्ड क्रमांक 43, कसारिडीह, दुर्ग, तहसील व जिला दुर्ग (छत्तीसगढ़)

... **याचिकाकर्ता**

विरुद्ध

1. राजाराम बघेल, पिता स्व. चंदूलाल बघेल, आयु लगभग 91 वर्ष, कृषक, ग्राम भिभौरी, तहसील– तिल्दा, जिला रायपुर (छत्तीसगढ़)। वर्तमान पता– ग्राम डंगनिया, शिक्षक कॉलोनी, तहसील व जिला रायपुर (छत्तीसगढ़)
2. छत्तीसगढ़ राज्य, द्वाराः कलेक्टर, रायपुर, जिला रायपुर (छत्तीसगढ़)

... **उत्तरवादीगण**

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

याचिकाकर्ता की ओर से	:	श्री संतोष कुमार चतुर्वेदी, अधिवक्ता
उत्तरवादीगण की ओर से	:	श्री प्रतीक तिवारी, पैनल अधिवक्ता

माननीय न्यायमूर्ति श्री राकेश मोहन पाण्डेय

बोर्ड पर निर्णय

23–04–2025

1) याचिकाकर्ता ने यह याचिका प्रथम अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, रायपुर (छ.ग.) द्वारा विविध अपील क्रमांक 52–ए/2024 में दिनांक 14.02.2025 को पारित आदेश को चुनौती देते हुए प्रस्तुत की है, जिसमें याचिकाकर्ता द्वारा सीपीसी के आदेश 43 नियम 1 के अधीन प्रस्तुत अपील को खारिज कर दिया गया है और विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 28.06.2024 को पारित आदेश की पुष्टि की गई है।

2) वर्तमान प्रकरण के तथ्य यह हैं कि याचिकाकर्ता/वादी ने दिनांक 20.09.2001 के अनुबंध के आधार पर स्वत्व की घोषणा और संविदा के विनिर्दिष्ट अनुपालन हेतु व्यवहार वाद प्रस्तुत किया था, जिसमें उत्तरवादी क्रमांक 1 ने ग्राम–भिभौरी, तहसील– तिल्दा, जिला– रायपुर (छ.ग.) स्थित अपनी भूमि, खसरा क्रमांक 605, क्षेत्रफल 0.664 हेक्टेयर को 24,600/– रुपये के प्रतिफल में विक्रय करने का अनुबंध किया था। याचिकाकर्ता ने सीपीसी के आदेश 39 नियम 1 व 2 के अधीन अन्य बातों के साथ–साथ इस आधार पर एक आवेदन प्रस्तुत किया कि यदि वादग्रस्त संपत्ति का अन्य–संक्रामण

किया जाता है, तो इससे वादों की बहुलता बढ़ेगी। आवेदन में यह भी कथन किया गया कि प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का संतुलन और अपूर्णीय क्षति याचिकाकर्ता के पक्ष में हैं। विद्वान विचारण न्यायालय ने दिनांक 28.06.2024 के आदेश द्वारा आवेदन स्वीकार किया था। उत्तरवादी क्रमांक 1 ने विद्वान प्रथम अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, रायपुर के समक्ष अपील प्रस्तुत की, जिसे दिनांक 14.02.2025 के आदेश द्वारा स्वीकार किया गया और उसी आदेश के विरुद्ध वर्तमान याचिका प्रस्तुत की गई है।

3) याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि अस्थायी निषेधाज्ञा के आवेदन को विद्वान विचारण न्यायालय ने इसलिए स्वीकार किया था क्योंकि प्रथम दृष्टया प्रकरण याचिकाकर्ता के पक्ष में था। उनका आगे यह तर्क है कि सुविधा का संतुलन और अपूर्णीय क्षति जिसकी भरपाई धन के रूप में नहीं की जा सकती थी, वे भी याचिकाकर्ता के पक्ष में थी, इसलिए विद्वान विचारण न्यायालय ने आवेदन स्वीकार किया। उनका तर्क है कि याचिकाकर्ता और उत्तरवादी क्रमांक 1 के मध्य दिनांक 20.09.2001 को एक अनुबंध हुआ था; उत्तरवादी क्रमांक 1 याचिकाकर्ता के पक्ष में विक्रय विलेख निष्पादित करने में विफल रहा और याचिकाकर्ता अपने हिस्से का अनुपालन करने के लिए तैयार और इच्छुक था, इसलिए याचिकाकर्ता ने व्यवहार वाद प्रस्तुत किया। उनका आगे तर्क है कि 2001 से 2022 तक, याचिकाकर्ता ने वादग्रस्त संपत्ति को विकसित किया है और व्यवहार वाद के लंबित रहने के दौरान, उत्तरवादी क्रमांक 1 पर–व्यक्ति हित सृजित कर सकता है, इसलिए कृपया याचिका स्वीकार की जाए एवं विद्वान अपीलीय न्यायालय द्वारा दिनांक 14.02.2025 को पारित आदेश को अपास्त किया जाए।

WebCopy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

4) इसके विपरीत, राज्य के विद्वान अधिवक्ता इसका विरोध किया।

5) पक्षकारों के विद्वान अधिवक्तागण को विस्तारपूर्वक सुना गया एवं अभिलेख पर प्रस्तुत दस्तावेजों का परिशीलन किया गया।

6) स्वीकृत रूप से, याचिकाकर्ता ने स्वत्व की घोषणा और संविदा के विनिर्दिष्ट अनुपालन हेतु एक व्यवहार वाद प्रस्तुत किया है। याचिकाकर्ता और उत्तरवादी क्रमांक 1 के मध्य दिनांक 20.09.2001 को एक अनुबंध किया गया था और 21 वर्षों की लंबी अवधि तक, याचिकाकर्ता द्वारा उत्तरवादी क्रमांक 1 के विरुद्ध विक्रय विलेख निष्पादित करने के लिए कोई कदम नहीं उठाए गए। यद्यपि वादपत्र में यह अभिवाक किया गया है कि याचिकाकर्ता अपने हिस्से का अनुपालन करने के लिए तैयार और इच्छुक था, परंतु याचिकाकर्ता का आचरण यह दर्शाता है कि वह 21 वर्षों तक अपने अधिकारों के प्रति उदासीन रहा।

7) अस्थायी निषेधाज्ञा के अनुतोष का दावा करने हेतु, याचिकाकर्ता को निम्नानुसार साबित करना होगा: (i) प्रथम दृष्टया प्रकरण; (ii) सफलता की प्रबल संभावना और; (iii) संविदा/अनुबंध वैध और प्रवर्तनीय है। यह स्थापित करने का भार वादी पर है कि प्रतिवादी अपने हिस्से का अनुपालन करने के लिए बाध्य है। यदि वादी द्वारा अभिवचन किए गए तथ्यों का प्रतिवादी द्वारा खंडन किया जाता है, तो वादी के पक्ष में अस्थायी निषेधाज्ञा का आदेश पारित नहीं किया जा सकता है। सुविधा के संतुलन के संबंध में, इस न्यायालय को उस कठिनाई का आकलन करना होगा जो अस्थायी निषेधाज्ञा दिए जाने की

स्थिति में उत्तरवादी क्रमांक 1 को होगी। अपूर्णीय क्षति के संबंध में, यदि यह स्थापित हो जाता है कि होने वाली क्षति की भरपाई मौद्रिक सहायता से नहीं की जा सकती है, तो निश्चित रूप से याचिकाकर्ता के पक्ष में प्रकरण बनता है।

8) माननीय उच्चतम न्यायालय ने **अंबालाल साराभाई एंटरप्राइज लिमिटेड विरुद्ध के.एस. इंफ्रास्पेस एलएलपी लिमिटेड व एक अन्य, (2020) 5 एससीसी 410**, में प्रकाशित प्रकरण में अस्थायी निषेधाज्ञा और संविदा के विनिर्दिष्ट अनुपालन के विवाद्यक पर विचार करते हुए यह अभिनिर्धारित किया है कि जब संपन्न अनुबंध के अस्तित्व के बारे में संदेह हो और वाद संस्थित करने में विलंब हुआ हो, तो ऐसी स्थिति में अस्थायी निषेधाज्ञा प्रदान नहीं की जा सकती। उपरोक्त निर्णय की कण्डिकाएँ 15 से 24 को यहाँ उद्धृत करना उपयुक्त होगा:–

> **15.** विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम, 1963 (एतस्मिन पश्चात जिसे'अधिनियम' के रूप में संदर्भित किया गया है) का अध्याय VII, धारा 36 निवारक अनुतोष प्रदान करने का प्रावधान करती है। धारा 37 यह प्रावधान करती है कि किसी वाद में अस्थायी निषेधाज्ञा सिविल प्रक्रिया संहिता द्वारा विनियमित होगी। विनिर्दिष्ट अनुपालन के वाद में अनुतोष प्रदान करना अपने आप में एक विवेकाधीन उपचार है। इसलिए, विनिर्दिष्ट अनुपालन के वाद में अस्थायी निषेधाज्ञा मांग करने वाले वादी को निर्विवाद तथ्यों के आधार पर एक मजबूत प्रथम दृष्टया प्रकरण स्थापित करना होगा। निषेधाज्ञा के प्रयोजनार्थ वादी का आचरण भी एक अत्यंत सुसंगत विचार होगा। इस स्तर पर विवेकाधिकार का प्रयोग न्यायिक रूप से किया जाना चाहिए, न कि मनमाने ढंग से।
>
> **16.** अस्थायी निषेधाज्ञा प्रदान करने के आधारभूत सिद्धांतों पर दलपत कुमार विरुद्ध प्रहलाद सिंह, (1992) 1 एससीसी 719 में विचार किया गया था, जिसमें निम्नानुसार अवधारित किया गया है:
>
> > **16.** अस्थायी निषेधाज्ञा प्रदान करने के आधारभूत सिद्धांतों पर दलपत कुमार विरुद्ध प्रहलाद सिंह, (1992) 1 एससीसी 719 में विचार किया गया था, जिसमें निम्नानुसार अवधारित किया गया है:
> >
> > "5... केवल इस बात का समाधान कि प्रथम दृष्टया प्रकरण विद्यमान है, निषेधाज्ञा प्रदान करने के लिए पर्याप्त नहीं है। न्यायालय को आगे यह भी समाधान होना होगा कि न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप न किए जाने के परिणामस्वरूप अनुतोष की मांग करने वाले पक्षकार को "अपूर्णीय क्षति" होगी और अनुतोष की मांग करने वाले पक्षकार के पास निषेधाज्ञा के अतिरिक्त कोई अन्य उपचार उपलब्ध नहीं है, तथा उसे संभावित क्षति या

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

बेदखली के परिणामों से संरक्षण की आवश्यकता है। यद्यपि, अपूर्णीय क्षति का अर्थ यह नहीं है कि उस क्षति को भरपाई की कोई भौतिक संभावना ही न हो, बल्कि इसका अर्थ केवल यह है कि क्षति तात्विक होनी चाहिए, अर्थात ऐसी क्षति जिसकी पर्याप्त भरपाई हर्जाने के रूप में न की जा सके। तीसरी शर्त यह भी है कि "सुविधा का संतुलन" निषेधाज्ञा प्रदान करने के पक्ष में होना चाहिए। निषेधाज्ञा प्रदान करते या अस्वीकार करते समय न्यायालय को अपने सुदृढ़ न्यायिक विवेकाधिकार का प्रयोग यह ज्ञात करने हेतु करना चाहिए कि यदि निषेधाज्ञा से इनकार किया जाता है, तो पक्षकारों को कितनी बड़ी हानि या क्षति होने की संभावना है, और इसकी तुलना उस क्षति से करनी चाहिए जो निषेधाज्ञा प्रदान किए जाने की स्थिति में दूसरे पक्ष को होने की संभावना है। यदि परस्पर विरोधी संभावनाओं या क्षति की आशंकाओं के आकलन पर न्यायालय यह समझता है कि वाद के लंबित रहने के दौरान, विषय–वस्तु को यथास्थिति में रखा जाना चाहिए, तो निषेधाज्ञा जारी की जाएगी। इस प्रकार, वाद के लंबित रहने के दौरान अंतरिम निषेधाज्ञा की अनुतोष देने या इनकार करने में न्यायालय को अपने सुदृढ़ न्यायिक विवेकाधिकार का प्रयोग करना होता है।”

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

17. वादी और प्रतिवादी के मध्य हुई वार्ता दिसंबर 2017 से 31.03.2018 के मध्य आदान–प्रदान किए गए लगभग 17 ईमेलों में परिलक्षित होती है। इन ईमेलों के साथ संलग्न फाइलों का आकार 4850 से 5756 केबी के बीच बदलता रहा है, जो समय–समय पर दिए गए सुझावों और सुधारों को दर्शाता है। व्हाट्सएप संदेश, जो आभासी मौखिक संचार हैं, उनके अर्थ और सामग्री के संबंध में साक्ष्य का विषय हैं, जिन्हें विचारणके दौरान मुख्य–परीक्षण और प्रति–परीक्षण द्वारा साबित किया जाना है। यह समझने के लिए कि क्या कोई संपन्न अनुबंध हुआ था या नहीं, ईमेल और व्हाट्सएप संदेशों को समग्र रूप से पढ़ा और समझा जाना चाहिए। दिनांक 30.03.2018 के ईमेल में अंतिम मसौदा शब्दों का प्रयोग अपने आप में निर्णायक नहीं हो सकता। प्रतिवादी द्वारा दिनाँक 26.02.2018 को सुबह 11:46 बजे भेजे गए ईमेल में भी इसी शब्दावली का उपयोग किया गया था। वादी प्रारंभ से ही इस बात से अच्छी तरह वाकिफ था कि प्रतिवादी एक साथ दो अन्य लोगों के साथ भूमि की विक्रय के लिए बातचीत कर रहा था। वादी को दिनाँक 30.03.2018 को ही यह ज्ञात हो गया था कि उसके साथ हुआ सौदा लगभग विफल हो चुका है, जैसा कि एस्क्रो एजेंट को सूचित किया गया था। तथ्य यह है कि उसी दिन चर्चा के लिए

अंतिम नाम से एक मसौदा समझौता ज्ञापन भेजा गया था, इसे अलग से देखने पर 'संपन्न अनुबंध' का निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता। इस स्तर पर ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है कि प्रतिवादी द्वारा 30.03.2018 को प्रतिवादी क्रमांक 2 के साथ सौदा करने और 31.03.2018 को पंजीकृत विक्रय विलेख निष्पादित करने से पूर्व, वादी की स्वीकृति प्रतिवादी तक पहुँचा दी गई थी। प्रतिवादी क्रमांक 2 ने प्रतिफल राशि के हिस्से के रूप में उसी दिन प्रतिवादी के आयकर बकाया के लिए 17.69 करोड़ रुपये और 2.20 करोड़ रुपये का संदाय किया था। इसके बाद ही वादी ने दिनांक 31.03.2018 को दोपहर 01:13 बजे प्रतिवादी को अपनी स्वीकृति संप्रेषित करना बताया है। पक्षकारों के मध्य दीर्घ वार्ता यह दर्शाती है कि प्रकरण अभी भी भ्रूण अवस्था में था, जैसा कि *एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी, गोंडल विरुद्ध गिरधरभाई रामजीभाई छनियारा व अन्य, (1997) 5* एससीसी*468* में अवधारित किया गया है। वादी इस स्तर पर यह स्थापित करने में असफल रहा है कि पक्षकारों के मध्य पारस्परिकता थी, और यह तो बिल्कुल नहीं कि वे समान बात पर सहमत थे।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

18. वाद के अभिवचनों से यह स्वीकार होता है कि वादी, प्रतिवादी क्रमांक 2 के साथ चल रही वार्ताओं से अवगत था। 2.16 करोड़ रुपये की अग्रिम राशि वादी को दिनाँक 1.03.2018 की शाम को आरटीजीएस के माध्यम से वापस कर दी गई थी। वादी द्वारा उस राशि को तुरंत या अगले दिन पुनः आरटीजीएस के माध्यम से भेजने का कोई प्रयास नहीं किया गया। केवल दिनाँक 03.04.2018 को एक लोक सूचना प्रकाशित की गई थी, जिसका प्रतिवादी द्वारा दिनाँक 04.04.2018 को खंडन किया गया। इसके सात माह उपरांत दिनाँक 01.10.2018 को वाद दायर किया गया था। यह स्पष्टीकरण कि वादी एक 'विवेकी व्यवसायी' के रूप में मुकदमेबाजी से बाहर समाधान की आशा में प्रतीक्षा कर रहा था, किसी भी विचार के योग्य होने के लिए एक बहुत ही लचर बहाना है।

19. निषेधाज्ञा प्रदान करने से संबंधित प्रकरण में, प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का संतुलन और अपूर्णीय क्षति के अस्तित्व के अतिरिक्त, निषेधाज्ञा के साम्यापूर्ण अनुतोष की मांग करने वाले पक्षकार का आचरण भी विचार किया जाना बहुत आवश्यक है, जैसा कि <u>मोतीलाल जैन</u> *(पूर्वोक्त)* में निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया गया है:

"6. प्रथम आधार जिसे उच्च न्यायालय ने संज्ञान में लिया, वह वाद प्रस्तुत करने में हुआ विलंब है। स्थावर संपत्ति के विक्रय के संविदा के विनिर्दिष्ट अनुपालन के प्रकरण में विलंब के निम्नलिखित पहलुओं को विचार में रखना उपयुक्त हो सकता है, जो सुसंगत हैं:"

(i) परिसीमा अधिनियम के अधीन निर्धारित अवधि के उपरांत होने वाला विलंब;

(ii) ऐसे प्रकरणों में विलंब जहाँ यद्यपि वाद परिसीमा अवधि के भीतर है, फिर भी:

(क) विलंब के कारण वाद की विषय–वस्तु में पर–व्यक्तियों ने अधिकार अर्जित कर लिए हैं;

(ख) प्रकरण के तथ्यों और परिस्थितियों में, विलंब के कारण अधित्यजन का तर्क उत्पन्न हो सकता है या अन्यथा विवेकाधीन अनुतोष प्रदान करना साम्यपूर्ण नहीं होगा।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

20. प्रतिवादी क्रमांक 2 ने, उपर्युक्त आयकर विभाग के बकाया देयों के अतिरिक्त, दिनाँक 16.01.2019 तक प्रतिवादी को ₹25,44,57,769/– का अतिरिक्त संदाय किया, जिससे कुल संदाय ₹45,84,71,869/– हो गया। प्रतिवादीगण ने ₹36.20 करोड़ की राशि का उपयोग भी कर लिया था और इस प्रकार वादी द्वारा समय रहते वाद संस्थित न किए जाने की निष्क्रियता के कारण उन्होंने अपनी स्थिति में भौतिक रूप से परिवर्तन कर लिया। इसके अतिरिक्त, प्रतिवादीगण द्वारा पर्याप्त निवेश किए जाने के फलस्वरूप पर–व्यक्ति के अधिकार भी उत्पन्न हो गए। मदामशेट्टी (पूर्वोक्त) के प्रकरण में यह अवधारित किया गया था कि:

"11. ... यह न तो संभव है और न ही वांछनीय कि उन परिस्थितियों को निर्धारित किया जाए जिनके अंतर्गत कोई न्यायालय वादी के विरुद्ध अपने विवेकाधिकार का प्रयोग कर सकता है। किन्तु वे परिस्थितियाँ ऐसी होनी चाहिए कि वादी के आचरण या उपेक्षा द्वारा किया गया अभ्यावेदन प्रतिवादी को प्रतिकूल रूप से अपनी स्थिति में परिवर्तन करने के लिए प्रत्यक्ष रूप से प्रेरित करने वाला हो, अथवा ऐसी स्थिति उत्पन्न करने वाला हो जिसमें उसे ऐसी अनुतोष प्रदान करना न्यायसंगत न हो।"

मंडाली रंगन्ना (पूर्वोक्त) में भी इसी प्रकार के विचार व्यक्त किए गए हैं।

21. अतः हमारा सुविचारित अभिमत यह है कि वर्तमान प्रकरण के तथ्यों और परिस्थितियों में, और इस स्तर पर हमारे समक्ष रखी गई सामग्रियों की प्रकृति को दृष्टिगत रखते हुए, पक्षकारों के मध्य कोई संपन्न अनुबंध अस्तित्व में थी या नहीं, यह स्वयं में विचारण का विषय है जिसे प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर तय किया जाना है। यदि वादी ने अनुमान के आधार पर एक निष्पन्न अनुबंध और/या एक मौखिक संविदा का तर्क दिया था, जिसमें निष्पादित दस्तावेज़ को मात्र एक औपचारिकता माना गया था, तो बृज मोहन (पूर्वोक्त) में अवधारित किए अनुसार, यह साबित करने का भार वादी पर था कि पक्षकार एक ही बात पर सहमत थे और उन्होंने अपने दायित्वों का निर्वहन कर दिया था। वादी स्वीकृत तथ्यों के आधार पर इसे दर्शाने में विफल रहा। दिनांक 30.03.2018 के प्रारूप समझौता ज्ञापन के खंड 'ग' में प्रतिफल राशि के भाग के रूप में ₹18.64 करोड़ के आयकर बकाया देयों के संदाय की परिकल्पना की गई थी, जिसके पश्चात ही अनुबंध पर हस्ताक्षर किए जाने थे जो कि पिछली तिथि 29.03.2008 से प्रभावी माना जाता। यदि इस राशि का संदाय या प्रेषण वादी द्वारा पहले ही कर दिया गया होता, तो लिखित अनुबंध के निष्पादन की आवश्यकता को मात्र एक औपचारिकता मानने के संबंध में पूर्णतया अलग विचार उद्भूत होते। यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि बीच में हुए घटनाक्रमों के कारण सुविधा का संतुलन प्रतिवादीगण के पक्ष में है, इसके अतिरिक्त अन्य बातों के साथ–साथ इसका कारण यह भी है कि वादी ने वाद संस्थित करने के लिए सात माह तक प्रतीक्षा की। संविदा के उल्लंघन का शिकायतकर्ता पक्षकार को अपूरणीय क्षति का प्रश्न तब उद्भूत नहीं होता यदि शिकायतकर्ता पक्षकार के पास अन्य उपाय उपलब्ध हों। उच्च न्यायालय ने स्वयं पक्षकारों के मध्य हुए वार्ताओं से यह अवधारित किया है कि "वादी और प्रतिवादी के बीच कुछ तनावपूर्ण स्थिति परिलक्षित हो रही थी.........."। विशेष व्यवहार न्यायाधीश विलंब के विवाद्यक पर विचार करने में असफल रहे। उच्च न्यायालय ने वाद संस्थित करने में हुए विलंब के संबंध में प्रतिवादीगण के तर्कों पर विचार तो किया किंतु उनका निराकरण करने में असफल रहा।

22. एम.पी. माथुर विरुद्ध डी.टी.सी., (2006)13 एससीसी 706 में, इस न्यायालय ने अवधारित किया:

> “14. वर्तमान वाद साम्य पर आधारित है... वर्तमान प्रकरण में, वादीगण ने एक ऐसा उपाय माँगा है जो विवेकाधीन है। उन्होंने 1963 अधिनियम की धारा 34 के अधीन वाद संस्थित किया है। न्यायालय को जिस विवेकाधिकार का प्रयोग करना है, वह एक न्यायिक विवेक है। उस

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

विवेकाधिकार का प्रयोग सुस्थापित सिद्धांतों पर किया जाना चाहिए। इसलिए, न्यायालय को विचार करना होगा—उस बाध्यता की प्रकृति जिसके संबंध में अनुपालन माँगा गया है, वे परिस्थितियाँ जिनमें निर्णय लिया गया था, पक्षकारों का आचरण और न्यायालय द्वारा आज्ञप्ति पारित किए जाने का प्रभाव। ऐसे प्रकरणों में, न्यायालय को अनुबंध को देखना होता है। न्यायालय को यह सुनिश्चित करना होता है कि क्या अनुबंध में पारस्परिकता का तत्व विद्यमान है। यदि पारस्परिकता का अभाव है, तो न्यायालय वादीगण के पक्ष में विवेकाधिकार का प्रयोग नहीं करेगा। भले ही, पारस्परिकता के अभाव को विवेकाधीन माना जाए न कि विनिर्दिष्ट अनुपालन के लिए पूर्ण रोक, फिर भी न्यायालय को विषय–वस्तु के संबंध में पक्षकारों के संपूर्ण आचरण पर विचार करना होगा और किसी भी अनुपयुक्त परिस्थिति के प्रकरण में न्यायालय मांगा गया अनुतोष प्रदान नहीं करेगा (स्नेल्स इक्विटी, 31 वां संस्करण, पृष्ठ 366)...."

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

23. वांडर लिमिटेड (पूर्वोक्त) केवल विवेक का नियम निर्धारित करता है। बहुत कुछ प्रकरण के तथ्यों पर निर्भर करेगा। गुजरात बॉटलिंग कंपनी लिमिटेड विरुद्ध कोका कोला कंपनी,(1995) 5 एससीसी 545 में इस पर पुनः विचार किया गया, जिसमें निम्नानुसार अवधारित किया गया:

"47....सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 39 के अधीन, अंतर्वर्ती या अस्थायी निषेधाज्ञा के आदेश में हस्तक्षेप करने का न्यायालय की अधिकारिता पूर्णतः साम्यिक है और इसलिए, न्यायालय के समक्ष पहुँचने पर, न्यायालय अन्य बातों के अतिरिक्त, उस पक्षकार के आचरण को भी देखेगा जिसने न्यायालय के अधिकारिता का आह्वान किया है, और हस्तक्षेप करने से इनकार कर सकता है जब तक कि उसका आचरण दोषमुक्त न हो। चूँकि अनुतोष प्रकृति में पूर्णतः साम्यिक है, इसलिए न्यायालय की अधिकारिता का आह्वान करने वाले पक्षकार को यह दर्शाना होगा कि वह स्वयं निर्दोष था और जिस स्थिति की उसने शिकायत की है उसे लाने के लिए वह स्वयं उत्तरदायी नहीं था, और वह उस पक्षकार के साथ अपने व्यवहार में अनुचित या अन्यायी नहीं था जिसके विरुद्ध वह अनुतोष की माँग कर रहा था। उसका आचरण निष्पक्ष और ईमानदार होना चाहिए।"

24. उपरोक्त विश्लेषण हमें इस निष्कर्ष पर पहुँचाने के लिए पर्याप्त है कि वर्तमान प्रकरण के तथ्यों और परिस्थितियों में, वादी को निषेधाज्ञा प्रदान किया जाना असंधारणीय है। फलस्वरूप, निषेधाज्ञा के आदेशों को अपास्त किया जाता है। वर्तमान आदेश की किसी भी बात को वाद की अंतिम सुनवाई के समय हमारे द्वारा व्यक्त की गई किसी अभिमत या अवधारण के रूप में नहीं माना जाएगा और न ही वैसा अर्थ निकाला जाएगा, जिसका निर्णय स्वाभाविक रूप से इसके अपने गुण–दोषों के आधार पर किया जाना होगा। उच्च न्यायालय पहले ही वाद की सुनवाई में शीघ्रता लाने का निर्देश दे चुका है और हम उन्हें पुनः दोहराते हैं।

9) अब वर्तमान प्रकरण के तथ्यों पर लौटते हुए,

(i) पक्षकारों के मध्य दिनांक 20.09.2001 को एक अनुबंध निष्पादित किया गया था।

(ii) याचिकाकर्ता ने विलंब के कारणों का स्पष्टीकरण दिए बिना दिनांक 06.03.2022 को वाद प्रस्तुत किया।

(iii) वर्तमान प्रकरण में विवादित तथ्य अन्तर्वलित हैं क्योंकि उत्तरवादी क्रमांक 1 ने याचिकाकर्ता के दावे को स्वीकार नहीं किया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

10) याचिकाकर्ता को यह स्थापित करना होगा कि संविदा/अनुबंध उत्तरवादी क्रमांक 1 के विरुद्ध वैध और प्रवर्तनीय है, और कठिनाई के संबंध में, याचिकाकर्ता अपना पक्ष स्थापित करने में असफल रहा। याचिकाकर्ता ने व्यवहार वाद प्रस्तुत करने के लिए 21 वर्षों के लंबे समय तक प्रतीक्षा की और परिसीमा अधिनियम के अनुसार, संविदा के विनिर्दिष्ट अनुपालन की डिक्री प्राप्त करने हेतु परिसीमा की अवधि तीन वर्ष है। वादी को निर्विवाद तथ्यों के आधार पर अस्थायी निषेधाज्ञा प्रदान करने हेतु एक मजबूत प्रथम दृष्टया प्रकरण स्थापित करना होता है, परंतु वर्तमान प्रकरण में, प्रतिवादी क्रमांक 1 ने वाद–पत्र के अभिवचनों का खण्डन किया है।

11) उपरोक्त विश्लेषित–तथ्यों एवं **अंबालाल साराभाई (पूर्वोक्त**) के प्रकरण में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिपादित विधि को विचार में रखते हुए, हस्तक्षेप के लिए कोई प्रकरण नहीं बनता है।

12) फलस्वरूप, यह याचिका असफल होती है एवं एतद्द्वारा **खारिज** की जाती है। वाद–व्यय हेतु कोई आदेश नहीं।

13) यह स्पष्ट किया जाता है कि इस न्यायालय ने प्रकरण के गुण–दोषों पर कोई अभिमत व्यक्त नहीं किया है।

सही/–

(राकेश मोहन पाण्डेय)

न्यायाधीश

∞HEAD NOTE∞

"Order 39 Rules 1 and 2 of CPC in suit for specific performace of contract– Temporary injunction cannot be granted when there are doubts as to the existence of a concluded contract and there is delay in institution of the suit."

"अनुबंध के विशिष्ट निष्पादन के लिए वाद में सी.पी.सी. के आदेश 39 नियम 1 और 2– जब संपन्न अनुबंध के अस्तित्व के बारे में संदेह हो और वाद प्रस्तुत करने में देरी हो तो अस्थायी निषेधाज्ञा नहीं दी जा सकती। "

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयी एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur